

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "डीटीएच सेट टॉप बॉक्स के केवाईसी" पर सिफारिशें जारी की।

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2019 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने आज "डीटीएच सेट टॉप बॉक्स के केवाईसी" पर अपनी सिफारिशें जारी की हैं।

भादूविप्रा को 28 दिसंबर 2018 के इसके पत्र के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें भादूविप्रा से डीटीएच सेवाओं में सेट बॉक्सों की वांछनीयता या नो योर कस्टमर (केवाईसी) पर अपनी विचारित सिफारिशें और यदि वांछित हो, उसकी प्रक्रिया के बारे में बताने का अनुरोध किया गया है।

2. विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने और उद्योग हितधारकों से जानकारी प्राप्त करने के लिए, भादूविप्रा ने 19 जुलाई, 2019 को "डीटीएच सेट टॉप बॉक्स के केवाईसी" पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। हितधारकों से परामर्श पत्र पर लिखित टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां क्रमशः 19 अगस्त 2019 और 02 सितंबर 2019 तक आमंत्रित की गई थी। प्राप्त सभी टिप्पणियां भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। इसके बाद, दिल्ली में 26 सितंबर 2019 को विभिन्न मुद्दों पर हितधारकों के अतिरिक्त टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए एक खुला मंच चर्चा आयोजित की गई।

3. उपर्युक्त परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त हितधारकों की टिप्पणियों और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण ने "डीटीएच सेट टॉप बॉक्स के केवाईसी" पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया है।

4. सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं हैं:

(क) डीटीएच ऑपरेटर को केवल ग्राहक आवेदन पत्र (सीएएफ) में दिए गए पते पर डीटीएच कनेक्शन स्थापित करना चाहिए और ऐसे स्थापित सेट टॉप बॉक्स के पते को डीटीएच ऑपरेटर के प्रतिनिधि द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए और डीटीएच ऑपरेटर द्वारा ऐसी स्थापना का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।

(ख) डीटीएच ऑपरेटर को उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भेजकर उसकी पहचान सुनिश्चित करनी चाहिए।

(ग) जिन मामलों में सब्सक्राइबर/कॉरपोरेट निकाय द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर प्रदान नहीं किया गया है, डीटीएच ऑपरेटर को डीटीएच कनेक्शन देने से पहले भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपयोगकर्ता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए पहचान का प्रमाण या इसी तरह का कोई अन्य दस्तावेज लेना चाहिए।

(घ) प्राधिकरण सिफारिश करता है कि नियमित अंतराल पर भौतिक सत्यापन को अनिवार्य करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे डीटीएच ऑपरेटरों की लागत बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। हालांकि, मौजूदा सेट टॉप बॉक्स, जो उपभोक्ता के किसी भी मोबाइल नंबर से जुड़े नहीं हैं, के लिए डीटीएच ऑपरेटर द्वारा उनके द्वारा जारी किए गए ऐसे सेट टॉप बॉक्स को दो साल की अवधि के भीतर मोबाइल नंबर से लिंक करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसे मामले में जहां मोबाइल नंबर के साथ लिंक करना संभव नहीं है, डीटीएच ऑपरेटर द्वारा उपभोक्ता की पहचान का प्रमाण लिया जाना चाहिए।

(ङ) प्राधिकरण सिफारिश करता है कि डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा स्थान आधारित सेवाओं (एलबीएस) को डीटीएच सेट टॉप बॉक्स में शामिल करने को अनिवार्य बनाने की आवश्यकता नहीं है

5. सिफारिशों का पूरा पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अरविन्द कुमार, सलाहकार (बीएंडसीएस) से टेलीफोन नंबर:+91-11-23220209 पर संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)

सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।